संख्या-01/2024/255/001-83-1002-001-3-2023

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त सचिव,
होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग,
लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 23 अप्रैल, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27 के लेखाशीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें-106 सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना-0301 सामान्य के अन्तर्गत कुल व्यवस्थित धनराशि रू0 104.13 लाख (रू0 एक करोड़ चार लाख तेरह हजार मात्र) में से रू0 87.40 लाख अर्थात रू0 87,40,000/- (रू0 सत्तासी लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

"वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्तिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावी/लागू है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन हो और किसी भी दशा में कोई विचलन न किया जाय।"

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) उक्त के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाय कि जब तक अतिरिक्त धनराशि की कोई व्यवस्था न हो, प्रदर्शित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न की जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यत: दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक माह में होने वाले व्यय का मदवार विवरण अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्यत: शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड अ-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय नियमानुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्षः2070001060301 (सामान्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	027	2070001060301 सामान्य	01 वेतन	54,00,000 (रूपये चौवन लाख मात्र)
2	027	2070001060301 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	27,00,000 (रूपये सत्ताईस लाख मात्र)
3	027	2070001060301 सामान्य	04 यात्रा व्यय	30,000 (रूपये तीस हजार मात्र)
4	027	2070001060301 सामान्य	07 मानदेय	30,000 (रूपये तीस हजार मात्र)
5	027	2070001060301 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	30,000 (रूपये तीस हजार मात्र)
6	027	2070001060301 सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	2,75,000 (रूपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र)
7	027	2070001060301 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	2,75,000 (रूपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**87,40,000 (रूपये सत्तासी लाख चालीस हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव।

संख्या-01/2024/255/001-83-1002-001-3-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in